न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 19/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00063)

1. शिवप्रसाद पुत्र मूल्या,
2. रामचरण पुत्र मूल्या,
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तहसील महवा, जिला दौसा ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल,
2. सोमोत्या पुत्र किशनलाल,
3. मोहरपाल पुत्र किशनलाल,
4. अशोक पुत्र श्रीनारायण,
5. राजेश पुत्र श्रीनारायण,
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम हुडला, तह0 महवा, जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा, तहसील महवा, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा निर्णय दिनांक 05.03.2003 प्रकरण संख्या 149/2002 उनवानी कन्हैया बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—25.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.03.2003 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अ0धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.03.2003 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम हुडला की भूमि गत खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा गै0मु0 रास्ते के पूर्व नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे को दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.03.2003 से व्यथित होकर अपीलान्ट शिवप्रसाद पुत्र मूल्या वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 05.03.2003 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.03.2003 विधि, न्याय, नियम एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 5 द्वारा न तो कोई साबिक नक्शा पेश किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि नवीन नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शा ट्रेस से अलग नक्शा ट्रेस बनाया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व व वर्तमान नक्शा ट्रेस का अवलोकन करना बताया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबिक नक्शा ट्रेस पेश ही नहीं किया गया ऐसी दशा में बिना साबिक नक्शा ट्रेस को रिकॉर्ड पर लिए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में विधि एव तथ्य की भूल की है। अपीलांट वर्तमान खसरा नम्बर 245 के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना अपीलांट की भूमि में होकर जबरन रास्ते का अंकन कर दिया गया है, ऐसी दशा में यदि अपीलांट की भूमि में होकर कोई दुरुस्ती की जा रही है तो दुरुस्ती किये जाने से पूर्व अपीलांट को बतौर पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संयोजित कर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर देना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को कतई नजरअंदाज कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 245 के पूर्व में एक रास्ता खसरा नम्बर 355 में स्थित है तथा उत्तर में एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 244 में स्थित है। उक्त दोनों रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न–भिन्न दर्ज है तथा दोनों रास्तों के बीच में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 245 के पूर्वी डोल मौजूद है। इस प्रकार दोनों रास्ते न तो मौके पर मिले हुए है और न ही राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 तहसीलदार महवा से साज कर न्यायालय को गुमराह कर साबिक राजस्व रिकॉर्ड के बिना ही आदेश पारित करा लिया जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 तहसीलदार महवा द्वारा गलत तरीके से बिना साबिक नक्शा ट्रेस की मौजूदगी के अपीलांट की खातेदारी की भूमि में होकर वर्तमान नक्शा ट्रेस में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये इन्द्राज कर दिया गया ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से अपीलांट द्वारा जब साबिक नक्शा ट्रेस की नकल चाही तो रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने रिकॉर्ड से साबिक नक्शा ट्रेस देने से इंकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह जिस तरीके से पारित किया गया है, वह आदेश किसी भी प्रकार की पालना योग्य नहीं है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि साबिक रिकॉर्ड अनुसार किस खसरा नम्बर में से भूमि कम की जाकर रास्ते के रूप में अंकित की जानी है जिसके अभाव में उक्त आदेश की पालना किसी भी रूप में नहीं की जा सकती फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 5 से साज कर आदेश की आड में गलत तरीके से रास्ते का इन्द्राज कर दिया ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट पक्षकार नहीं थे तथा उक्त आदेश अपीलांट के पीठ पीछे पोशीदा रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जिसकी अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी। पटवारी हल्का द्वारा बताने पर अपीलांट ने दिनांक 07.06.2019 को ही नकल आवेदन पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 10.06.2019 को प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 05.03.2003 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी.के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 05.03.2003 प्रकरण संख्या 149/2002 उनवानी कन्हैया बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा0 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगा0 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया था कि ग्राम हुड़ला तहसील महवा की भूमि गत खसरा नम्बर 42 के सायलान खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। जिसमें खसरा नम्बर 36 गै0मु0 चाह भी स्थित है। सायलान की खातेदारी की उक्त भूमि पर जाने के लिये आम रास्ता हुड़ला से बरखेडा है जो खसरा नम्बर 88 की उत्तरी मेड़ व खसरा नम्बर 39 की दक्षिणी मेड़ पर दिखाया गया है। हाल भू प्रबंध के दौरान उक्त रास्ता के स्थाई निशानात को प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर के पूर्वी दक्षिणी कोने पर से खसरा नम्बर 85 व 39/2 के मध्य स्थित रास्ते की टुकड़ी को बेजा तौर पर नक्शा से हटा दिया गया ओर रास्ता को खसरा नम्बर 66 ग्वार की गांव को जाने वाले बंध की पाल की नहर को जाने वाले रास्ता से मिला दिया जो पूर्व में कभी अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा बन्दोबस्त के समय गत खसरा नम्बर 43 (रास्ते) को आगे खसरा नम्बर 52, 53, 54, 71 व 83 की उत्तरी मेड़ पर पक्की रेखा के बजाय डोटेड़ लाईन से बता दिया गया है जो गलत व गैरकानूनी है। भू प्रबंध विभाग द्वारा गत नक्शा में दर्ज रास्ता को नवीन नक्शा में अकारण एवं अनाधिकार रूप से कॉट–छॉट कर हटा देने से मौके पर अन्य काश्तकार गलत फायदा उठाने की चेष्टा में है। अतः गत नक्शानुसार रास्ते को वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने के जो अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2003 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.06.2019 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल दिनांक 10.06.2019 को प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नंजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी संवत 2035–38 के अनुसार ग्राम हुडला तहसील महवा की भूमि गत खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रास्ता है। भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन ख.नं. 205 व 244 बनाये गये हैं। किंतु जब पूर्व व वर्तमान नक्शा ट्रेस को देखते है, भिन्नता स्पष्ट रूप से नजर आती है। पूर्व रास्ता ख.नं. 43 पक्की लाईन से दर्शाया गया था जबकि वर्तमान नक्शा में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। इसके अलावा इस रास्ता को आगे जाकर बंद कर दिया गया है जबकि यह रास्ता ख0नं0 240 व 241 से आगे जाने वाले रास्ता से जोडना चाहिये था। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 43 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के रास्ता को नवीन नक्शा में गलत ढंग से दर्शाया गया है इसलिये नक्शा में दुरूस्ती की गयी है। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत करते हुये नवीन नक्शा ट्रेस में अन्तर होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार की दुरूस्ती राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत की जा सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2003 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा दिनांक 05.03.2003 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर